

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान-पडरौना।

पीठासीन अधिकारी- (राजन कुमार गोंड) (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP2148

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 3465/2026

सरकार बनाम इकबाल अहमद आदि

अभियुक्तगण इकबाल अहमद तथा शबनम खातून के जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण:

12.08.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण इकबाल अहमद तथा शबनम खातून की ओर से मु०अप०सं०-477/2019, अन्तर्गत धारा-323,504,506 भा०द०सं०, थाना-तरयासुजान, जिला-कुशीनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा उपरोक्त में समक्ष न्यायालय आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अभियोजन की ओर से कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार की धमकी देंगे या साक्षियों से छेड़छाड़ करेंगे अथवा न्यायालय की अधिकारिता से पलायित कर जायेंगे। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है तथा अन्य कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है।

अतः मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था Brahm Sing & 2 others vs State of U.P. & 2 others के Criminal Misc. Writ Petition No. - 15609/2016, Satendra Kumar Auntil vs C.B.I. & others Petition (S) for Special Leave to Appeal (Cri.) No. - 5191/2021 Siddharth vs. The State of Uttar Pradesh & Anr. Criminal Appeal No. 838 of 2021 and Aman preet Sing vs CBI through Director, Criminal Appeal No. 929 of 2021 में पारित विधि व्यवस्था, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण इकबाल अहमद तथा शबनम खातून की ओर से मु०अप०सं०-477/2019, अन्तर्गत धारा-323,504,506 भा०द०सं०, थाना-तरयासुजान, जिला-कुशीनगर में अंकन बीस-बीस हजार रुपये के एक-एक सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुशीनगर, स्थान-पडरौना।